

वचनपत्र

मैं/हम _____ पुत्र/पुत्री/पत्नी _____

निवासी _____ यह वचन देता/देती हूं कि कृषि ऋण छूट और ऋण राहत योजना

2008 के प्रावधानों के अनुसार मैं OTS प्रस्ताव का लाभ उठाना चाहता/चाहती हूं और निम्नानुसार फसल ऋण और निवेश
ऋण के संबंध में मेरे हिस्से का अतिदेय चुकाना चाहता/चाहती हूं:

फसल ऋण

किस्त – निम्न से कम नहीं	मेरे द्वारा अधिकतम इस तारीख तक चुकाया जाएगा
	30 सितंबर 2008
	31 मार्च 2009
	30 जून 2009
कुल रु.	

निवेश ऋण अतिदेय किस्त (प्रत्यक्ष कृषि कार्य)

किस्त – निम्न से कम नहीं	मेरे द्वारा अधिकतम इस तारीख तक चुकाया जाएगा
	30 सितंबर 2008
	31 मार्च 2009
	30 जून 2009
कुल रु.	

निवेश ऋण अतिदेय किस्त (संबद्ध कार्य)

किस्त – निम्न से कम नहीं	मेरे द्वारा अधिकतम इस तारीख तक चुकाया जाएगा
	30 सितंबर 2008
	31 मार्च 2009
	30 जून 2009
कुल रु.	

मैं/हम यह भी सहमति देते हैं कि यदि मैं/हम 30 जून 2009 तक मेरे/हमारे हिस्से को न चुका सका/सकी/सके तो मैं/हम इस राहत का हकदार नहीं रहूंगा/रहूंगी/रहेंगे और 1 मार्च 2008 से देय ब्याज की रकम सहित संपूर्ण अतिदेय राशि
मुझसे/हमसे वसूल किया जा सकेगा।

किसान का बाएं अंगूठे का निशान/हस्ताक्षर

उपर्युक्त वचनपत्र की जांच कर ली गई है और अतिदेय की राशि (निवेश ऋण के मामले में केवल अतिदेय किस्तें) ठीक पाई गई।

यह वचनपत्र स्वीकार किया जाता है और इसकी स्वीकृति स्वरूप किसान को एक प्रतिलिपि दी जाती है।

बैंक का नाम _____

हस्ताक्षर
शाखा प्रबंधक
तारीख:

शाखा: _____

ज़िला: _____

राज्य: _____